राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/7064

दिनांकः 10.12.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/38311–12 दिनांक 24.11.2018 से पुलिस थाना गंगधार के अभियोग सं0 201/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रंगलाल जाति कंजर उम्र 25 साल निवासी लाखाखेडी थाना गंगधार जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.18 को श्री रूप सिंह सउनि मय जाप्ता वास्ते गश्त व चैकिंग अवैध कार्य करता हुआ बिलावली रोड पर पहुंचा जहां जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाखाखेडी की तरफ से चौमेहला आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकते है। नाकाबंदी के दौरान एक लडका मोटरसाईकिल पर बैठकर आता नजर आया, जिसको रोकने का ईशारा किया तो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा। जिसको जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र पुत्र रंगलाल जाति कंजर उम्र 25 साल निवासी लाखाखेडी थाना गंगधार जिला झालावाड बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी ली तो एक देशी कटटा लोहे का मिला। जिसको अपने कब्जे मे रखना या परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 201/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्ध किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त जप्तशुदा एक देशी कटटा 315 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे एक देशी कटटा 315 बोर को फायर योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह एचसी 370 व आरमोंरर पुलिस लाईन श्री योगेन्द्र सिंह 689 उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रंगलाल जाति कंजर उम्र 25 साल निवासी लाखाखेडी थाना गंगधार जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Procecution Senction

जनमन झालावाड़